दिन के बाद 3.11.92 को मृत्यु हो गई। 9 अक्तूबर, 1992 को आपरेशन किये गये दूसरे रोगी को संतोषजनक स्थिति में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी लेकिन उसे गुर्दे की परेशानी के कारण जिसके परिणामस्वरूप उसके अधिकांश अंग निष्क्रिय हो गये थे तथा गौण संक्रमण हो गया था, 23.10.92 को पुनः अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसकी 4.11.92 को मृत्यु हो गई। दोनों रोगी, मधुमेह, हृद-धमनी रोग और कम्प्रोमाइज्ड मायोकार्डियल फंक्शन से पीड़ित थे।

(ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल ने मामले की जांच की है परन्तु अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित किए गए विसंक्रमण और धूमन संबंधी प्रक्रियाओं और मानकों के अनुसरण में कर्मचारियों की ओर से किसी चूक का पता नहीं चला।

एड्स की रोकथाम

308. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एड्स का पता लगाने और इस बीमारी की रोकथाम पर विशेष ध्यान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में आज तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस संबंध में की जा रही कार्यवाही का राज्यवार ब्यौरा क्या है, और अभी तक राज्यवार कितने एड्स के रोगियों का पता लगाया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान 3 वर्ष (1990-92) के लिए मध्यावधि योजना तैयार की गई थी ताकि एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन चलाई जा रही गतिविधियों को तेज किया जा सके। वर्ष 1992-93 के दौरान भारत सरकार ने देश में एड्स से बचाव और नियंत्रण के लिए विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम प्रारंभ की है। विशेष ध्यान एड्स से बचाव पर दिया गया है क्यों कि अब तक इसका कोई उपचार नहीं है। कार्यक्रम के घटकों में प्रबंध को सुदृढ़ करना, समुदाय में और व्यक्तियों के बीच जागरुकता के स्तर को बढ़ाना, रक्त और रक्त उत्पादों की निरापदता को बढ़ाना, यौन-संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में तेजी लाना और चिकित्सीय प्रबंध व निगरानी में सुधार लाना शामिल है।

(ग) कार्यक्रम के उपर्युक्त घटक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक से हैं जिन्हें तदनुसार कार्य-योजना तैयार करने की सलाह दी गई है ताकि वे कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर सकें।

पता लगाए गए एड्स के रोगियों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

31.10.92 की स्थिति के अनुसार सूचित किए गए एड्स रोगियों की राज्यवार संख्या

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र		एड्स के रोगियों की संख्या
जम्मू व कश्मीर	—	1
हिमाचल प्रदेश	—	1
पंजाब	—	8
हरियाणा	—	1
राजस्थान	—	1
गुजरात	—	2
महाराष्ट्र	—	93
आन्ध्र प्रदेश	—	1
गोवा	—	2
केरल	—	16
तमिलनाडु	—	73
पांडिचेरी	—	6
उत्तर प्रदेश	—	1
दिल्ली	—	29
पश्चिम बंगाल	—	3
मणिपुर	—	4
योग		242

भारतीयों की संख्या: 228

विदेशी: 14

Birth control for Employees of Central and State Governments

309. SHRI ANANTRAY

DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to strictly implement birth control measures for employees of Central and State Governments, LIC, Public Sector Undertakings, Nationalised Banks and to restrict the size of their families;

(b) if so, whether Government have made any norms and rules for those employees who are having more than two children, regarding ration cards, bank's financial assistance, loans, medical facilities further promotions etc.; and

(c) whether this is likely to be extended to all sections of population?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D.K. THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) A package of incentives/ disincentives under the Family Welfare Programme has been formulated for all sections of population.

Killer Infection Haunts AIIMS

310. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention have been drawn to the news item which appeared in the Hindu dated the 11th November, 92 under the caption "Killer infection haunts AIIMS"; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D.K. THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) and (b) Yes Sir. The Hospital Infection Control Committee of AIIMS reviewed the matter in detail and found the samples obtained from the CTVS Department to be either sterile or within acceptable limits. The two patients mentioned in the said report were operated on two different dates and died 50 days and 26 days after the operations conducted by two different surgeons. Many patients operated in-between as also on the same day remained free from infection. It also emerged that the CTVS Centre has also followed all the standard procedures of infection control.

W.H.O. report on banning of drugs for treating Diarrhoea

311. SHRI ISH DUTT YADAV: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government is aware that W.H.O. in its recent report have recommended banning of a number of drugs given to children for treatment of diarrhoea; and

(b) if so, what is the reaction of the Government of India in regard thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D.K. THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) W.H.O. had brought out a publication in 1990 entitled 'The Rational Use of Drugs in the Management of Acute Diarrhoea in Children'. In this publication, procedure for administering different classes of drugs such as antibiotics, anti-parasiotic to children has been mentioned. It also cautions that anti-motility drugs like diphenoxylate, lopermide should not be administered to children.

(b) The Government have already asked the manufactures of anti-motility drugs like diphenoxylate to given necessary precaution that these drugs should not be administered to children below the age of 6 years and that precautionary statement to this effect be given in the package insert of these